तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व प्रार्थना पत्र मु.न. 61/2023 अनवान सुशील कुमार वगै. बनाम अजीत कंवर वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
06.11.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी पर सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थना–पत्र में अभिवचन से तथ्य स्पष्ट होता है कि इस अनुतोष हेतु पक्षकार को धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार नही हैं। इस प्रार्थना–पत्र में दोनो पक्षो को राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में परिवर्तन करने का प्रावधांन धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम में नही है। यह प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत घोषणात्मक दावा का प्रावधान है। इसलिए कानूनन धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है। इस प्रार्थना–पत्र में अवधि अधिनियम व अन्य कानूनी प्रावधानो से बचने के लिये यह गलत विधि विरूद्ध प्रार्थना–पत्र पेश किया जो कानून चलने योग्य नही है। सैटलमेन्ट की कार्यवाही वर्ष 2005 में हुई थी। उसके बाद प्रार्थी को जानकारी नही हुई यह तथ्य भी बनावटी प्रतीत हो रहा है। सैटलमेन्ट के द्वारा राजस्व रेकार्ड तैयार होने के बाद दावा द्वारा ही किसी त्रुटी के लिए कार्यवाही होती है। जिससे दावा, जबाबदावा, तनकी कायम होकर दोनो पक्षो की साक्ष्य लेकर, बहस सुनकर निर्णय होता है। इसलिये भी प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थी किसी भी तरह से येनकेन अपनी भूमि जो कम कीमती है, उसके स्थान पर दूसरे खसरे से कीमती भूमि हड़प करने हेतु यह गलत प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है। इसलिए भी प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्लीडिंग से स्पष्ट है कि इस त्रुटि के सुधार हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत कार्यवाही होती है। धारा 131, 136 बन्दोबस्त (सेटलमेन्ट) की कार्यवाही हेतु है। जहां साक्ष्य का प्रश्न है वहां दावा के माध्यम से कार्यवाही होती है। इसलिए भी प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बार्ड बाई लॉ है, अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने व उनकी भूमि को हड़पने की नियत से यह कार्यवाही की गई है कानूनन यह प्रार्थना–पत्र बार्ड बाई लॉ है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अपनी बहस के समर्थन में माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2023(2) पृष्ठ [illegible] से 803 व सीपीसी 1908 के सेक्शन [illegible] की प्रति [illegible] की गई। प्रार्थी अधि[illegible] करते हुए कथन किया कि अप्रा[illegible] प्रार्थना–पत्र गलत व विधि विरूद्ध है जिसमें पूर्णतया इंकार किया जाता है। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के प्रावधान उक्त प्रकरण में लागू नहीं होते है। उक्त प्रावधान केवल दावा पर ही लागू होते है। उक्त प्रकरण दावा न होकर केवल प्रार्थना–पत्र है। अप्रार्थीगण ने जानबुझकर प्रार्थना–पत्र की कार्यवाहियो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:27:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

को देरिना करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र राजस्व रिकार्ड के नक्शा दुरस्ती का है। उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनी है। अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मनघड़त तथ्यों पर आधारित है जो खारिज किये जाने योग्य है।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। त्रुटि के सुधार हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत कार्यवाही होती है। सैटलमेन्ट के द्वारा राजस्व रेकार्ड तैयार होने के बाद दावा द्वारा ही किसी त्रुटी के लिए कार्यवाही होती है। जिससे दावा, जबाबदावा, तनकी कायम होकर दोनो पक्षो की साक्ष्य लेकर, बहस सुनकर निर्णय होता है। जहां साक्ष्य का प्रश्न है वहां दावा के माध्यम से कार्यवाही होती है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 एलआर एक्ट इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी सक्षम न्यायलय में सक्षम धाराओ में चाराजोही करें।

आदेश आज दिनांक 06.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:27:16 IST
Reason: SelfAttested